संख्या– /54–1–12/.................

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
(जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2012

विषय– **आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत जनपदों में गठित वाटरशेड कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) तथा पीआईए स्तर पर डब्ल्यूडीटी के सदस्यों की सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–जेड–11011/10/2009–पीपीसी दिनांक 09 दिसम्बर, 2009 एवं जेड– 11011/17/2009– पीपीसी दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत जनपदों में स्थापित वाटरशेड कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) में चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. उपरोक्त प्रावधान के क्रम में शासनादेश संख्या–345/54–1–12/8(14)/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा ***डब्ल्यूसीडीसी*** में ***टेक्निकल एक्सपर्ट*** तथा ***डाटा इन्ट्री आपरेटर*** एवं ***पीआईए*** में ***डब्ल्यूडीटी सदस्य*** नियुक्त किये जाने के लिए **"मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0,** को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5317 (एम/बी)/2012 में पारित निर्णय के अधीन चयनित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

पता– प्रथम तल, रोहित काम्प्लेक्स, सप्रू मार्ग, लखनऊ

दूरभाष–0522–4028990, **मोबाइल**–9335916101, **ईमेल**–vibgyorinfo@sify.com

वेबसाइट–www.vibgyorgroup.net / www.vibgyorhr.com

उपरोक्त सेवा प्रदाता मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0 द्वारा ही ***डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर टेक्निकल एक्सपर्ट*** तथा ***डाटा इन्ट्री आपरेटर*** एवं ***पीआईए*** स्तर पर ***डब्ल्यूडीटी सदस्यों*** की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाएगा, पारिश्रमिक का भुगतान किसी भी दशा में डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए द्वारा नहीं किया जाएगा।

3. ***शासनादेश संख्या–202/54–1–12/(5)/2010 दिनांक 02.05.2012*** एवं ***यथासंशोधित शासनादेश संख्या–827/54–1–12/1 (5)/2010 दिनांक 12.11.2012*** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि पीआईए के पास उपलब्ध परियोजना में कम से कम ***दो परियोजनाओं के मध्य एक डब्ल्यूडीटी*** के बहुआयामी तकनीकी योग्यता वाले कम से कम चार सदस्यों की टीम का गठन किया जाय जिसमें से एक महिला सदस्य होगी।

4. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक ***एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए*** के अधीन कार्य करेंगे तथा ***वर्क–आउटपुट*** के आधार पर ***एसएलडीसी*** स्तर पर, ***डब्ल्यूसीडीसी*** स्तर पर तथा ***पीआईए*** स्तर पर कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान के सम्बन्ध में तिथियों का निम्न कलेन्डर अपनाया जाएगा,यदि किसी नियत तिथि पर राजकीय अवकाश पड़ता है, तो अगले कार्यदिवस पर संबंधित कार्य किया जायेगाः–

संख्या– /54–1–12/..................

I- <u>माह का प्रथम तिथि</u>–सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की उपस्थिति का सत्यापन/प्रमाणन ***एसएलडीसी*** स्तर पर ***संयुक्त निदेशक, प्रभारी एसएलडीसी*** द्वारा, ***डब्ल्यूसीडीसी*** स्तर पर सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा तथा ***पीआईए*** स्तर पर सम्बन्धित बीएसए द्वारा करके सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराया जाएगा।

II- <u>माह की 03 तिथि</u> –सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक का बिल सम्बन्धित क्रमशः एसएलडीसी के प्रशासनिक अधिकारी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/सम्बन्धित बीएसए को उपलब्ध कराया जाएगा।

III- <u>माह की 05 तिथि</u> –एसएलडीसी के प्रशासनिक अधिकारी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/सम्बन्धित बीएसए द्वारा सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराये गये बिल के सापेक्ष धनराशि का भुगतान नियमानुसार एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से सेवा प्रदाता को किया जाएगा।

IV- <u>माह की 10 तिथि</u> – सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक स्तर के कार्मिकों को देय पारिश्रमिक की धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के खाते में चेक अथवा बैंक खाते (कोर बैंकिंग) के माध्यम से ट्रान्सफर कर दी जाएगी।

5. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक, सेवा प्रदाता के ही कार्मिक होंगे तथा एसएलएनए के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के प्रति भारत सरकार/राज्य सरकार व एसएलएनए अथवा उनके किसी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्मिकों को राज्य सरकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में, अपेक्षित कार्य क्षमता न होने पर तथा कार्मिक द्वारा बीच अवधि में ही कार्य छोड़कर चले जाने की स्थिति में उसके प्रतिस्थानी को तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सेवा प्रदाता का ही होगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा यदि कोई वाद मा0 उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालय में योजित होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता का ही होगा।

6. कतिपय जनपदों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सेवा प्रदाता के माध्यम से डब्ल्यूसीडीसी एवं पीआईए में नियुक्त कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान विगत कई माह से नहीं किया गया है तथा डब्ल्यूसीडीसी एवं पीआईए स्तर पर रखे गये कार्मिकों की सेवाएं भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर सेवा प्रदाता को उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में कृपया यह सुनिश्चित करा लें कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान ससमय हो जाय।

7. भारत सरकार के निर्देशानुसार, ऐसे जनपद जिनके अन्तर्गत ***25 हजार हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल*** में आईडब्ल्यूएमपी योजना का कार्य संचालित है, ***डब्ल्यूसीडीसी*** में निम्नानुसार कार्मिक रखे जायेंगे :–

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	टेक्निकल एक्सपर्ट	01
2.	लेखाकार	01
3.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	01
	कुल	03

ऐसे जनपद जिसके अन्तर्गत ***25 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल*** में आईडब्ल्यूएमपी योजना का कार्य संचालित है, वहाँ पर ***डब्ल्यूसीडीसी*** में निम्नानुसार कार्मिक रखे जायेंगे :–

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	टेक्निकल एक्सपर्ट	02
2.	लेखाकार	01
3.	लेखाकार सहायक	01
4.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	02
	कुल	06

संख्या– /54–1–12/.................

8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तालिकाओं में उल्लिखित **लेखाकार** तथा **लेखाकार सहायक** के पद **प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त** कर्मचारियों से भरे जाने हैं। अतः इनकी नियुक्ति **एसएलएनए** स्तर से ही की जाएगी, न कि **सेवा प्रदाता** द्वारा।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या–862 (1)/54–1–12/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
5. संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी (जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर) उत्तर प्रदेश।
7. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य वित्तीय सलाहकार/वित्त नियंत्रक, एसएलएनए,शारदा सहायक समादेश लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
10. संयुक्त निदेशक, प्रभारी एसएलडीसी शारदा सहायक समादेश 23 सी गोखले मार्ग लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
12. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी शारदा सहायक समादेश 23 सी गोखले मार्ग लखनऊ।
13. मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0, प्रथम तल, रोहित काम्प्लेक्स, सप्रू मार्ग, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

26.11.12

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी